सं0– 980 / XXV ।।।–(3)–2004–192 / 2004

प्रेषक,

अर्जुन सिहं
संयुक्त सचिव
उत्तरांचल शासन।

सेवा मे,

मुख्य चिकित्साधिकारी
देहरादून / उत्तरकाशी / ,बागेश्वर / पिथौरागढ।

चिकित्सा अनुभाग–3 देहरादूनः दिनांकः 26फरवरी,2005

विषयः प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो के भवनों के निमार्ण कार्य की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पत्र सं0–7प / पी0एच0सी0 / 27 / 33 / 34 / / 39 / 2004 / 26746 दिनांक 3.11.2004 के सन्दर्भ मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2004–05 मे संलग्नानुसार विभिन्न जनपदों मे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों के निमार्ण हेतु कुल रूपये 1,54,04,000–00(रू0 एक करोड चौवन लाख चार हजार मात्र) की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन तथा चालू वित्तीय वर्ष मे संलग्नकानुसार कुल रू0 70,60,000–00 (रू0 सत्तर लाख साठ हजार मात्र) की धनराशि के व्यय की सहर्ष स्वीकृति निम्नांकित शर्तानुसार प्रदान करते है।

1– एकमुश्त प्राविधानों को कार्य करने से पूर्व विस्तृत प्रस्ताव बनाकर सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त कर लें।

2– कार्य कराते समय लो0 नि0 विभाग के स्वीकृत विशिष्टियों के अनुरूप कार्य कराये तथा कार्य की गुणवत्ता पर विशेष बल दिया जाये। कार्य की गुणवत्ता का पूर्ण उत्तरदायित्व निर्माण एजेन्सी का होगा।

3– उक्त धनराशि तत्काल आहरित की जायेगी तथा तत्पश्चात् निर्माण इकाई क्षेत्रीय प्रबन्धक,पेयजल संसाधन विकास निर्माण निगम उत्तरांचल तथा क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम उत्तरांचल को उपलब्ध कराई जायेगी। स्वीकृत धनराशि का उपभोग प्रत्येक दशा मे इसी वित्तीय वर्ष के भीतर सुनिश्चित किया जायेगा।

4– स्वीकृत धनराशि के आहरण से संबंधित वाऊचर संख्या एवं दिनांक की सूचना तत्काल उपलब्ध कराई जायेगी तथा धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका मे उल्लिखित प्राविधानों मे बजट मैनुअल तथा शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित् किया जायेगा।

5– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत / अनुमोदित दरों मे जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट मे स्वीकृत नही है अथवा बाजार भाव से भी ली गयी हो, कि स्वीकृति नियमानुसार कम से कम अधीक्षण स्तर के अधिकारी का अनुमोदन आवश्यक होगा।

6– कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन / मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

7– कार्य पर उतना ही व्यय किया जायेगा जितना कि स्वीकृत मानक हैं। स्वीकृत मानक से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

8– एक मुश्त प्राविधन को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार ाम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

9–कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें ।

10– कार्य करने से पूर्व स्थल का भली भाँति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एवं भुगर्ववेत्ता के साथ आवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात् स्थल आवश्यकतानुसार निद्रेशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जायें।

11– आगणन जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाए, एक मद का दूसरी मद मे व्यय कदापि न किया जाए। निर्माण सामग्री को प्रयोग मे लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से परीक्षण करा ली जाय,उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग मे लाया जाए।

12– स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति आख्या प्रत्येक दशा मे माह की 07 तारीख तक निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध कराई जायेगी। यह भी स्पष्ट किया जाएगा कि इस धनराशि से निर्माण का कौन सा अंश पूर्णतया निर्गत किया गया है।

13– निर्माण के समय यदि किसी कारणवश यदि परिकल्पनाओं/विशिष्टयों मे बदलाव आता है तो इस दशा मे शासन की सवीकृतिआवश्यक होगी ।

14– निर्माण कार्य से पूर्व नींव के भू–भाग की गणना आवश्यक है, नींव के भू–भाग की गणना के आधार पर ही भवन निर्माण किया जाय।

15– उक्त भवन के अधूरे /निमार्णाधीन कार्यो को शीघ्र प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किया जाए तत्पश्चात परिव्यय की उपलब्धता के आधार पर नये कार्य प्रारम्भ किया जाए।

16– बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुतिका, स्टोर पचैज रूल्स, डी.जी.एस.एन.डी.की दरे अथवा टैडर/कोटेशन विषयों के संबंध में शासन द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों का अनुपालन किया जायेगा ।

17– धनराशि का आहरण /व्यय आवश्यकतानुसार एवं मितव्ययता को ध्यान में रखकर किया जायें ।

18– निमार्ण कार्य जून 2006 से पूर्व पूर्ण कर लिये जायें ।

19– उक्त व्यय लेखानुदान वर्ष 2004–05 के आय–व्ययक मे अनुदान संख्या –12 के लेखाशीर्षक 4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय–आयोजनागत–02 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें –103 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र–91–जिला योजना 9102 –नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवनों का निमार्ण (सामान्य) (विस्तार अंश)24–वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा ।

20– यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0– 1022/वित्त अनुभाग–2/2004 दिनांक 22.02.2005 मे प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे है ।

भवदीय,

(अर्जुन सिंह)
संयुक्त सचिव

पृ0 सं0– 980(1)/XXVIII–(3)–2004–192/2004

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, उत्तरांचल, माजरा देरादून ।
2– निदेशक, कोषागार, उत्तरांचल ,देहरादून।
3– कोषाधिकारी, देहरादून /उत्तरकाशी/बागेश्वर/पिथौरागढ ।
4– जिलाधिकारी देहरादून /उत्तरकाशी/बागेश्वर/पिथौरागढ ।
5– महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तरांचल ।
6– क्षेत्रीय, प्रबन्धक,पेयजल संसाधन विकास निर्माण निगम उत्तरांचल ।
7– क्षेत्रीय प्रवन्धक, उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम उत्तरांचल ।
8– निजी सचिव मा0 मुख्यमंत्री।
9– वित्त अनुभाग–2 .
10– गार्ड फाईल

आज्ञा से,

(अर्जुन सिह)
संयुक्त सचिव

शासनादेश सं0 980/XXV|||(3)2004–192/04 दिनांक 26.2.05 का संलग्नक

(धनराशि लाख रू0 में)

क. सं0	योजना का नाम	जनपद का नाम	निर्माण इकाई	लागत	वर्ष 2004-05 मे स्वीकृत धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	प्रा0स्वा0केन्द मेहूंवाला का भवन निर्माण।	देहरादून	पेयजल निगम	34.00	20.00
2	प्रा0स्वा0केन्द बनचौरा का भवन निर्माण।	उत्तरकाशी	स0क0निर्माण	39.00	10.00
3	प्रा0स्वा0केन्द जलमानी का भवन निर्माण।	बागेश्वर	स0क0निर्माण	40.86	10.59
4	प्रा0स्वा0केन्द चौडमुन्या का भवन निर्माण।	पिथौरागढ	स0क0निर्माण	40.18	30.01
			योग–	154.04	70.60

(रू0 सत्तर लाख साठ हजार मात्र)

(अर्जुन सिह)
संयुक्त सचिव।